(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 205 नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन न्यास प्राधिकरण एतत् द्वारा, ग्रेनाइट्स प्रखंडों पर चेन्नै पत्तन न्यास द्वारा उगाहे जा रहे क्रेनेज प्रभार के संबंध में हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स से प्राप्त मामले (संदर्भ) को, एतत्द्वारा, संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 मेंप्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 205 नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 की 38) की धारा 48 और 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन न्यास प्राधिकरण एतत् द्वारा, ग्रेनाइट्स प्रखंडों पर चेन्नै पत्तन न्यास द्वारा उगाहे जा रहे क्रेनेज प्रभार के संबंध में हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स से प्राप्त मामले (संदर्भ) को, एतत्द्वारा, संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/37/2008-सीएचपीटी

हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स ------- आवेदक

आ दे श

(आज जुलाई 2010 के 23 वें दिन पारित)

हिन्दुस्तान चैम्बर ऑफ कामर्स ने ग्रेनाइट प्रखंडों पर चेन्नै पत्तन न्यास (सीएचपीटी) द्वारा क्रेनेज प्रभारों की उगाही के संबंध में दिनांक 11 दिसंबर 2007 के अपने पत्र द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था ।

2. अभ्यावेदन दिनांक18 दिसंबर 2007 के हमारे पत्र के माध्यम से सीएचपीटी को उनकी टिप्पणी के लिए अग्रेषित किया गया था। सीएचपीटी से यह भी अनुरोध किया गया था कि वह पोत भी परिवहन मंत्रालय द्वारा 1991 में कथित रू प से जारी किए गए उस आदेश की एक प्रति भी प्रस्तुत कर, एचसीसी ने जिसका संदर्भ दिया था।

3. सीएचपीटी ने दिनांक 29 मई 2008 के अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 5 अक्तूबर 1994 की अधिसूचना के माध्यम से, जिसमें निर्यात के लिए ग्रेफाइट प्रखंडों की हैवीलिफ्ट प्रभारों से छूट प्रदान की गई थी, पत्तन द्वारा जारी किए गए दरमान के संशोधन की एक प्रति के साथ अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। बाद में, हि.चै.कामर्स ने दिनांक 31 मई 2008 के अपने पत्र के माध्यम से, सीएचपीटी द्वारा 29 मई 2008 के अपने पत्र में उठाए गए बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। हि.चै.कामर्स का अभ्यावेदन, दिनांक 29 मई 2008 के अपने पत्र के माध्यम से मिली सीएचपीटी की टिप्पणियां और दिनांक 31 मई 2008 के पत्र के माध्यम से उस पर हि.चै.कामर्स की टिप्पणियां संक्षेप में नीचे सारणी बद्ध दी गई हैं :-

क्र.सं.	11 अक्तूबर 2007 के पत्र में हि.चै.कामर्स द्वारा उठाए गए बिंदु	हि.चै.कामर्स के अभ्यावेदन पर सीएचपीटी की टिप्पणियां दिनांक 29 मई 2008	सीएचपीटी की टिप्पणियों पर हि.चै.कामर्स की टिप्पणियां दिनांक 31 मई 2008
1.	सीएचपीटी के दरमान के मान 11-II नोट (4) कहता है कि हैवी लिफ्ट प्रभार निर्यात के लिए ग्रेफाइट पत्थरों पर लागू नहीं हैं । 1991 में, पोत परिवहन मंत्रालय ने अनगढ़ ग्रेनाइट प्रखंडों को हैवी लिफ्ट और क्रेनेज प्रभारों से छूट देते हुए आदेश जारी किए थे ।	5 अक्तूबर 1994 को अधिसूचना सं. टी 2 /23 /3218 /93 /एआर के माध्यम से दरमान में इस आशय का संशोधन जारी किया गया था कि निर्यात के लिए ग्रेनाइट प्रखंडों पर हैवीलिफ्ट प्रभार नहीं लगेगा । अधिसूचना एक शर्त शामिल करने की जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, व्यवस्था करती है :- ''निर्यात के लिए ग्रेनाइट पत्थरों के पोत लदान पर, जब कभी पोत के अपने उपकरण उपयोग किए जाते हैं, हैवी लिफ्ट क्रेनेज प्रभार नहीं लगाया जाएगा।''	सरकार ने अपनी अधिसूचना सं.टी 2 /23 /3218 /93 /एआर (शुद्धि पर्ची सं. 7) दिनांक 5 अक्तूबर 1994 के माध्यम से अनगढ़ ग्रेनाइट प्रखंडों पर हैवी लिफ्ट प्रभार से छूट प्रदान की है। इस प्रकार, हैवी लिफ्ट प्रभारों की दर के आधार पर 10% की गणना असमर्थनीय है और शुरू से ही अस्वीकार्य है । पत्तन ने इस बात की पुष्टि की है कि निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान करने के संबंध में दरमान में किया गया संशोधन (प्रचालन में) दक्षता लाने और निजी क्रेनों के उपयोग को

	सीएचपीटी अपने दरमान में नियमों की इस प्रकार व्याख्या कर रहा है जिस ने, निजी क्रेन किराए पर लेने के साथ-साथ 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के लिए लागू 10% की गणना करते हुए उपयोगकर्त्ता से बड़ी राशि का भुगतान करवा कर ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को अधिक खर्चीला बना दिया है। हि.चै.कामर्स ने नियमों की ठीक-ठीक व्याख्या करने का अनुरोध किया है और उसकी राय में क्रेन किराया प्रभार पर 10% जैसा मान 10 में दिखाया गया है, ही उगाहा (वसूल किया) जाना चाहिए ।	पोतों की उत्पादकता और निष्पादनता सुधारने के उद्देश्य से, पिछले सामान्य संशोधन में निजी क्रेनों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया था और तदनुसार, सीएचपीटी के दरमान के मान 11 में एक प्रावधान डाला गया था जिसके अनुसार, अपनी निजी क्रेन लाने वाले उपयोगकर्त्ताओं को पत्तन के दरमान के अनुसार विभिन्न कार्गो अथवा क्षमता पर लागू सामान्य क्रेनेज प्रभार का 10% का भुगतान करना अपेक्षित था। सीएचपीटी के दरमान के अध्याय-II मान 11, का नोट (4) निम्नानुसार कहता है : *''जब कभी 30 टन से अधिक वजन वाले पैकेज पोत से उतारे जाते हैं या पोत पर लादे जाते हैं या केवल एसक्यू 1 पर सीएचपीटी की 50 टन क्रेन के उपयोग के बिना पोत के अपने उपकरणों की मदद से सीधे-सीधे सौपे जाते हैं या सीधे-सीधे पोत-लदान किए जाते हैं तो ग्रेनाइट पत्थरों के निर्यात को छोड़कर, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के 50% पर प्रभार वसूले जाएंगे।''* सीएचपीटी के दरमान के मान-11 का नोट (6) कहता है, *''पत्तन प्रचालन के लिए पक्ष के अनुरोध पर दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान की जाएगी। ''* निजी क्रेनों की तैनाती के लिए 10% प्रभारों के भुगतान से ग्रेनाइट प्रखंडों को छूट के लिए धारा 6 में कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि ग्रेनाइट प्रखंड सीधे-सीधे लॉरी / ट्रेलर से पोत लदान किए जाते हैं कोई क्रेनेज प्रभार नहीं उगाहा गया है। यह केवल अन्तिम दो वर्षों के लिए है कि ग्रेनाइट प्रखंडों के प्रहस्तन में सक्षम हैवी लिफ्ट हार्बर मोबाइल क्रेन उपलब्ध हैं । यदि ग्रेनाइट प्रखंडों का प्रहस्तन करने वाली प्राइवेट क्रेनों को 10% प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान करने	प्रोत्साहित करने के लिए था । इस प्रकार मान-11 का नोट (6) राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए शामिल किया गया था। पत्तन ने इस की पुष्टि की है कि चूंकि ग्रेनाइट प्रखंड सीधे-सीधे ट्रेलर से पोत पर लादे जाते हैं कोई क्रेनेज प्रभार नहीं उगाहा जाता है । यह इस बात को न्यायोचित ठहराता है कि जब इस कार्गो द्वारा सामान्य रूप से किसी क्रेनेज का भुगतान नहीं किया जाता है तो क्रेन प्रभार पर 10% की उगाही अनुचित है । 10% प्रभार की उगाही ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को अधिक खर्चीला बनाती है। सीएचपीटी के दरमान के मान-11 के नोट (6) को निम्नानुसार संशोधित किया जाए : *''पत्तन प्रचालन के लिए अनगढ़ ग्रेनाइट पत्थरों के निर्यात को छोड़कर पक्ष के अनुरोध पर दरमान मे विनिर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान पर निजी क्रेनों को अनुमति प्रदान की जाएगी। ''*

		का इरादा होता तो उसका सीएचपीटी के दरमान के मान-11 के नोट (4) अथवा नोट (6) में स्पष्ट उल्लेख होता। इस प्रकार के प्रावधान के अभाव में पत्तन के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह उपयोग कर्त्ताओं के अनुरोध के आगे झुके और ग्रेनाइट प्रखंडों का प्रहस्तन करने वाली निजी क्रेनों को छूट प्रदान करे। प्राधिकरण समुचित निर्णय ले और उसे सीएचपीटी को बता दे।	

4. प्रशुल्क मार्गदर्शी 2005 की धारा 3.1.5 के अनुसार यह प्राधिकरण व्यक्तिगत उपयोगकर्त्ताओं द्वारा दाखिल किए गए अभ्यावेदनों को विचारार्थ स्वीकार कर सकता है यदि उनमें प्रशुल्क / दरमान का निर्धारण सम्मिलित है। इस तथ्य के मद्दे -नज़र कि हि.चै.कामर्स ने दरमान में प्रदत्त सशर्तताओं के अनुप्रयोग के विषय में मुद्दा उठाया है और प्राधिकरण ही इस दिशा में निर्णय लें, अपनाई गई सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निर्णय लिया गया था कि हि.चै.कामर्स से प्राप्त संदर्भ पर कार्रवाई की जाए।

5. तदनुसार, दिनांक 11 दिसंबर 2007 के अपने पत्र के माध्यम से हि.चै.कामर्स से प्राप्त संदर्भ, हि.चै.कामर्स के संदर्भ पर सीएचपीटी का प्रत्युत्तर दिनांक 29 मई 2008 और सीएचपीटी द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर टिप्पणियां करते हुए हि.चै.कामर्स का पत्र दिनांक 31 मई 2008 की एक-एक प्रति सम्बद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों और सीएचपीटी द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त उपयोगकर्त्ताओं को दिनांक 5 सितंबर 2008 के पत्र के माध्यम से भेजी गई थीं। विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां सीएचपीटी को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। सीएचपीटी ने प्रतिपूरक सूचना पर अपनी टिप्पणी पेश की।

6. इस प्रकरण में 29 जून 2010 को सीएचपीटी के परिसर में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। हि.चै.कामर्स तथा सीएचपीटी ने इस बैठक में अपने-अपने पक्ष रखे।

7. इस प्रकरण में परामर्श से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड्स पर उपलब्ध है। प्राप्त टिप्पणियों के सारांश की एक प्रति संबद्ध पक्षों को अलग से भेजी लाएगी। ये विवरण हमारे वैब साइट http:tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

8. प्रकरण पर प्रक्रिया करते समय संग्रहित सूचना की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) सीएचपीटी के, अक्तूबर 2002 में निर्धारित दरमान को संशोधित करते हुए इस प्राधिकरण ने 7 मार्च को एक आदेश पारित किया गया था। मार्च 2006 में अनुमोदित दरमान में पत्तन की 50 टन क्रेन और 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के उपयोग के लिए प्रावधान सन्निहित हैं। जब 30 टन से अधिक वजन के कार्गो का कोई पैकेज पोत की क्रेन द्वारा उतारा जाता है अथवा पोत पर लादा जाता है तो प्रदत्त प्रभारों का केवल 50% ही पत्तन द्वारा उपयोकर्त्ता से वसूल किया जाएगा। किन्तु, ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात को प्रदत्त क्रेनेज प्रभार के 50% प्रभार से छूट प्राप्त है।

(ii) यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर सीएचपीटी ने दिनांक 5 अक्तूबर 1994 की एक अधिसूचना द्वारा अपने दरमान में संशोधन किया

था जिसके अनुसार जब कभी पोत की क्रेनों का उपयोग करते हुए ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात किया जाएगा, उन्हें हैवीलिफ्ट प्रभारों से छूट प्राप्त होगी।

(iii) अक्तूबर 2002 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में एक प्रावधान था जिसके अनुसार, यदि पत्तन न्यास के पास ये उपकरण नहीं हो तो सीएचपीटी के तत्कालीन प्रचलित दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% की वसूली पर पत्तन प्रचालनों के लिए निजी क्रेनों को अनुमत करने हेतु सीएचपीटी को अधिकार प्रदान किया गया था। जैसाकि सीएचपीटी द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के अनुरोध पर प्रस्तावित किया गया था मार्च 2006 के प्रशुल्क आदेश में, अक्तूबर 2002 के प्रशुल्क आदेश में प्रदत्त प्रावधान को निजी उपकरणों पर प्रदत्त प्रभार तब भी लगाने के लिए जब ऐसे उपकरण सीएचपीटी के पास उपलब्ध हो, थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया था। संयोगवश, मार्च 2006 का प्रशुल्क आदेश भी, सभी संबद्ध उपयोगकर्त्ता संगठनों के साथ उनकी चर्चा के बाद सीएचपीटी द्वारा दाखिल एक मत प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया था।

(iv) निजी क्रेनों द्वारा प्रहस्तित कार्गो के लिए प्रदत्त क्रेनेज प्रभारों का 10% लगाया जाना प्रदत्त सामान्य क्रेनेज प्रभार आकर्षित करने वाले ऐसे कार्गो के लिए संयोगवश ही है। चूंकि ग्रेनाइट प्रखंडों का निर्यात प्रेषण को सामान्य हैवीलिफ्ट प्रभारों से छूट प्राप्त है तो ऐसे ग्रेनाइट प्रखंड निजी क्रेनों द्वारा प्रहस्तित किए जाते हैं तो ऐसे ग्रेनाइट प्रखंडों को 10% प्रभारों के लगाए जाने से छूट प्रदान करने वाले तदनुरू प प्रावधान का अभाव मार्च 2006 में अनुमोदित दरमान में एक चूक जान पड़ता है। उपयुक्त / प्रासंगिक समय पर इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दरमान, उपयोगकर्त्ता संगठनों के साथ सीएचपीटी के परामर्श का परिणाम था। तथापि, 10% प्रभार लगाने से ग्रेनाइट प्रखंडों को छूट प्रदान करने वाले प्रासंगिक प्रावधान के दरमान में न होने पर किसी ने संकेत नहीं किया।

(v) हि.चै.कामर्स ने सुझाव दिया है कि सीएचपीटी, यदि आवश्यक समझे तो, ग्रेनाइट प्रखंडों के लिए रू. 10,000/- प्रति पाली सैद्धान्तिक प्रभार लगा सकता है। इस प्राधिकरण को इस संबंध में पत्तन से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जब कभी सीएचपीटी द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव दाखिल किया जाएगा, तब प्रदत्त सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उसे कार्रवाई के लिए लिया जाएगा।

(vi) ग्रेनाइट प्रखंडों के निर्यात प्रेषण को हैवीलिफ्ट प्रभारों के लगाए जाने से छूट से संबंधित प्रावधान सीएचपीटी के प्रचलित दरमान में 50 टन क्रेन के साथ-साथ 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के संबंध में प्रदत्त हैं। इसी प्रकार, जब निजी क्रेनों को पत्तन प्रचालनों के लिए अनुमत किया जाता है तब 50 टन क्रेन और 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के संबंध में प्रदत्त क्रेनेज का 10% लगाना भी प्रदत्त है। इसलिए, यदि ग्रेनाइट प्रखंडों के प्रहस्तन के लिए निजी पक्षों द्वारा प्रहस्तन उपकरण अन्दर लाए जाते हैं तो ग्रेनाइट प्रखंडों के प्रहस्तन के लिए क्रेनेज के 10% छूट, दोनों मामलों - 50 टन क्रेन और 150 टन फ्लोटिंग क्रेन के मामलों में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) यह महसूस करते हुए कि सीएचपीटी के दरमान में पिछले प्रभाव से संशोधन से जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, संशोधनों को भावी प्रभाव से लागू करने के लिए हि.चै.कामर्स सहमत हो गया है। जैसाकि मार्च 2005 के प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 3.2.8 में अनुबंधित है, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान में संशोधन भारत का राजपत्र में अधिसूचना की तिथि के बाद 30 दिन बीतने पर लागू होगा।

8.1 परिणामस्वरू प और ऊपर दिए गए कारणों से तथा समग्र विचारविमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीएचपीटी के वर्तमान दरमान में निम्नानुसार संशोधन करता है :-

(i) <u>अध्याय III (कार्गो संबंधी प्रभार) में मान -11 के अन्तर्गत वर्तमान नोट-6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-</u>

''(6) निर्यात के लिए ग्रेनाइट पत्थरों को छोड़कर, पत्तन प्रचालन के लिए पक्ष के अनुरोध पर निजी क्रेनों को दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमत किया जाएगा। ''

(ii) <u>अध्याय III (कार्गो संबंधी प्रभार) में मान-11 (II) के अन्तर्गत वर्तमान नोट-6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है</u> :-

''(6) निर्यात के लिए ग्रेनाइट पत्थरों को छोड़कर, पत्तन प्रचालन के लिए पक्ष के अनुरोध पर निजी क्रेनों को दरमान मे ंविनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमत किया जाएगा। पक्षों को उनके अपने उपकरण लाने की अनुमति दी जाएगी, यदि वे उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध तो हैं किन्तु उनमें खराबी आ जाने के कारण, योजनानुसार अनुरक्षण के कारण अथवा किसी अन्य पक्ष को किराए पर दे देने के कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं तो ऊपर विनिर्दिष्ट 10% प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा। ''

8.2 चेन्नै पत्तन न्यास के दरमान में उपरोक्त संशोधन, भारत का राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से 30 दिन बीतने पर लागू किए जाएंगे।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष